पत्रांक-जी0एस0टी0/ 2023-24/ 363 /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0।

(जी0एस0टी0 अनुभाग)

लखनऊ : दिनांक- 09 अगस्त, 2023

समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-1,

राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

कृपया अवगत कराना है कि वाणिज्य कर, सहारनपुर जोन द्वारा समाधान योजना के व्यापारियों से प्राप्त राजस्व में आ रही गिरावट के कारणों की समीक्षा की गयी, जिसमें उनके द्वारा समाधान योजना के व्यापारियों द्वारा वर्ष 2023-24 के प्रथम त्रैमास में जमा की गयी धनराशि के आधार पर निम्न प्रकार वर्गीकरण किया गया है-

1. शून्य कर जमा करने वाले व्यापारी।
2. गत वर्ष के सापेक्ष 25% से 50% तक कम कर जमा करने वाले व्यापारी।
3. गत वर्ष के सापेक्ष 50% से अधिक कम कर जमा करने वाले व्यापारी।
4. गत वर्ष के सापेक्ष जमा कर में कोई वृद्धि न दर्शाने वाले व्यापारी।

उपरोक्त बिन्दुओं के अन्तर्गत चिन्हित व्यापारियों की सूची सहारनपुर जोन के समस्त अधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए उनके द्वारा कम कर दिये जाने के कारणों की समीक्षा किये जाने के दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः यह पत्र आपको इस आशय से प्रेषित है कि राजस्व सुरक्षा की दृष्टि से अपने जोन में पंजीकृत समाधान योजना के व्यापारियों द्वारा जमा किये जा रहे कर की समीक्षा करते हुए उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं के अन्तर्गत गत वर्ष से कम कर जमा करने वाले व्यापारियों को चिन्हित करते हुए उसकी सूची समस्त अधिकारियों को उपलब्ध कराने तथा इन व्यापारियों द्वारा कम कर दिये जाने के कारणों की समीक्षा अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें।

यह पत्र आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 महोदया के अनुमोदनोपरान्त प्रेषित किया जा रहा है।

(हरिलाल प्रजापति)
संयुक्त आयुक्त (जी0एस0टी0),
राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनांक-उक्त।

संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय लखनऊ को उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

संयुक्त आयुक्त (जी0एस0टी0),
राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।

D.C. (I.T.)
/08/23